

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

नामांकन सूचना

झारखण्ड सरकार के द्वारा SCVT के अन्तर्गत संचालित नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों निदेशालय पत्रांक – 251 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18-19 में नामांकन किया जायेगा। प्रत्येक संस्थान के समक्ष अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची – 'क'– के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र 20 सितम्बर 2017 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पथरगामा (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नामांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विद्युत	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महागामा (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नामांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फीटर	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेहरमा (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नमांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विद्युत	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोआरीजोर (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नमांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फीटर	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

(ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बसंतराय (महेशपुर) (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नमांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विद्युत	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

(च) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंगटी (गोड्डा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यूनिट	शिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	नामांकन हेतु यूनिट की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फीटर	01+01 = 02	21×02 =42	दो वर्ष	01 यूनिट (21 प्रशिक्षणार्थी)

1. प्रवेश पाने हेतु शैक्षणिक योग्यता DGT द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समरूप होगा जो निम्न व्यवसाय के लिए निम्नवत है :-

(क) फीटर (Fitter), इलेक्ट्रीशियन (Electrician), - Passed 10<sup>th</sup> Class Examination Under 10 + 2 System of Education with Science & Mathematics or its equivalent.

(ख) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरीट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।

2. आयु अहर्ता :- (क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। (ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10 वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी।

3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

4. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/- (पचास रुपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

7. आरक्षण अहर्ता :- (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या-07/नीति/आरक्षण-06/2001 का0-5886/राँची दिनांक-21.09.2011 के अनुसार रहेगा।

(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा। बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्यूमरी है। अर्थात् कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 % अतिरिक्त सीट।

(घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक-एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के ) आरक्षित है।

(ङ) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आवासीय अहर्ता :- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक - 14/स्थानीयता निति 14.03.2016 का 4650 दिनांक 02.06.2016 (संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9.. जाति आधारित अहर्ता :- नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशा निर्देश [www.godda.nic.in](http://www.godda.nic.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

11. आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, अंक, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ, जिला नियोजनालय गोड्डा (बाल विकास विद्यालय के सामने) पो0-गोड्डा, जिला-गोड्डा, पिन-814133 के पते पर दिनांक 20.09.2017 को संध्या 5.00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होना अनिवार्य है।

नोट :- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

जिला नियोजन पदाधिकारी-सह-

नोडल पदाधिकारी, औ0 प्र0 संस्थान

(105 प्रखण्डों में) गोड्डा

अपर समाहर्ता

गोड्डा।

## सूचना

### झारखंड राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सूचना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर 2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र में नामांकन हेतु इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची - "क" के अनुसार हस्तलिखित / टंकित आवेदन पत्र दिनांक ..... तक आमंत्रित किए जाते हैं :-

### अनुसूची "क"

### औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :- .....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :- .....
- (हिन्दी में) :- .....
3. (क) पिता का नाम :- .....
- (ख) अभिभावक का नाम :- .....
4. पिता / अभिभावक का पेशा :- .....
5. उम्मीदवार का पूरा पता :- .....
- (क) स्थायी पता :- .....
- (ख) थाना :- .....
- (ग) पत्राचार का पता :- .....

आवेदक अपना पूर्ण  
हस्ताक्षर युक्त  
पासपोर्ट साइज  
फोटो चिपकाये।

6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :- .....
7. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :- .....
8. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयु :- .....
9. शैक्षणिक योग्यता :- .....

कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									
4									

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? :- .....
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं? .....
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं? .....
13. पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग-अलग संख्या- .....
14. अनुलग्न की विवरणी :-1).....2).....3).....
- 4).....5).....6).....7).....

मैं ..... पिता का नाम ..... प्रमाणित करती हूँ / करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर



नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों  
का कोटिवार सीटों का विवरण

Institute Name	Period	Name of the Trade	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीट का विभाजन					सुपरन्यूमरिक सीट			Total Seat
				GEN	ST	SC	BC- I	BC- II	PH	SMQ	Super Numric SC/ST	
				आरक्षण प्रतिशत में	50%	25%	8%	10%	7%			
औ0 प्र0 सं0 पथरगामा (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	विद्युत (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
औ0 प्र0 सं0 महागामा (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	फीटर (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
औ0 प्र0 सं0 मेहरमा (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	विद्युत (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
औ0 प्र0 सं0 बोआरीजोर (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	फीटर (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
औ0 प्र0 सं0 बसंतराय (महेशपुर) (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	विद्युत (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
औ0 प्र0 सं0 ठाकुरगंगटी (गोड्डा)	दो वर्षीय कोर्स	फीटर (01 यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21